न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 11/2016
जीसीएमएसः– 2016/00079

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. राजु पुत्र नरिंगा। 2. जांवता पुत्र नरींगा। 3. पाबु पुत्र नरींगा। 4. उदा पुत्र नरींगा जातियान विश्नोई निवासीगण सियागांव पूर तह–सांचौर जिला सांचौर		1. जाला पुत्र फुआ। 2. गोरधन पुत्र पोला जातियान–विश्नोई निवासीगण सियागांव पूर तह–सांचौर जिला सांचौर 3. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
तारीख रजूः– 21.09.2016
उपस्थितः–

1. श्री इब्राहीम शॉह प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 एक पक्षीय ।

दिनांक 04.07.2024

निर्णय

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा सियांगाव (पूर) पटवार हल्का पूर तहसीलद सांचौर में खसरा नम्बर 55 रकबा 3.18 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। उक्त खेत में हम प्रार्थीगण के मकबुजा खातेदारीसुदा व कब्जासुदा आया हुआ है। उक्त खेत में हम प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अन्दर हम प्रार्थीगण निवासरत है। हमारे खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 55 से उगता उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 56 आया हुआ है। अप्रार्थीगण आए दिन हमारे उक्त खेत की उतरी माठ को तौड़ते रहते है तथा हमारे खेत की भूमि को अपने खेत में मिलाना चाहते है। हमारे उक्त खेत को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था तथा आपस में मुकदमें बाजी चल रही है। अप्रार्थीगण बदमाश एवं सिरजौर लोग है, जो डण्डे के बल पर हमारे खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 पर जबरन कब्जा कर हड़पना चाहते है। इस हेतु वे आये दिन माठ आदि को तोड़ते रहते है। जिससे हमारे विवाद होता रहता है। जबकि हम प्रार्थीगण सीधे सादे लोग है तथा कानून में विश्वास रखने वाले इंसान है। हम प्रार्थीगण किसी प्रकार के फौजदारी विवाद में नही पड़ना चाहते है। इस कारण हम प्रार्थीगण हमारे खेत खसरा नम्बर 55 की उतरी माठ पर पत्थर गढढी क[illegible] चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का मानन[illegible] में पेश किया। उक्त खेत का पैमाईश कर सीमा चिन्ह अंकित कर[illegible] प्रदार करावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2016 [illegible] दर्ज रजिस्ट्रर होकर किया गया था। [illegible] 1.06.2019 के आदेश अ[illegible] पुनः श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] 01 दिनांक 26.06.2019 को अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण [illegible] ता 03 के विरूद्ध लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ट्रैस नक्शा व जमाबंदी संलग्न की है जिसका अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खसरा नम्बर 55 ग्राम सियागांव पूर में आयी हुई है। जिससे प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त आराजी के उतर दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 1.93 हैक्टयर आयी हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत की सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ्ढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा सियांगाव (पूर) पटवार हल्का पूर तहसीलद सांचौर में खसरा नम्बर 55 रकबा 3.18 हैक्टयर का पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ्ढी करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उक्त आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner